अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7 / विविध(जीएसटी)–04–33 / 2024– /पटना, दिनांक............

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना।

विषय :– कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी के दाखिला के संबंध मे।

प्रसंग:– मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक–450 दिनांक–05.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से GST के अंतर्गत कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियों का दाखिला सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0 / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक :– प्र0–7 / विविध(जीएसटी)–04–33 / 2024– 1646(E) /पटना, दिनांक...... 02/03/2026

प्रतिलिपि :– IT मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

D:\Neha Sinha\2012 ka New Folder\Abhay Kumar\Vividh Draft.docx

556

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक– बिक्री–कर / विविध–84 / 2017(खंड–1)–450....../पटना, दिनांक–05/02/2026

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :– कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के पूर्व जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन विवरणी की दाखिला कराने के संबंध में।

प्रसंग:– इस कार्यालय का पत्रांक–बिक्री–कर / विविध–84 / 2017 (खंड–1)–307 / पटना, दिनांक 21.01.2025

महोदय,

जीएसटी के अंतर्गत कार्य संवेदकों द्वारा किया गया कर भुगतान राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि सरकार से भुगतान प्राप्त होने के बावजूद कई कार्य संवेदकों द्वारा मासिक जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी प्रणाली में करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिला के साथ ही कर भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्य संवेदकों द्वारा ससमय विवरणी दाखिल नहीं किये जाने से राजस्व–संग्रहण प्रभावित होता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति में मात्र दो माह ही शेष हैं एवं अभी भी कई कार्य संवेदकों द्वारा जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं की गई है। अतः सरकार के राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं से शत प्रतिशत विवरणी दाखिल कराना अत्यंत आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, स्थानीय प्राधिकार तथा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह निदेशित करने की कृपा की जाय कि कार्य संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व जीएसटी के अंतर्गत अद्यतन विवरणियाँ दाखिल करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। उल्लेखनीय है कि किसी भी निबंधित व्यवसायी के विवरणी दाखिला की अद्यतन स्थिति gst.gov.in पर देखी जा सकती है।

विश्वासभाजन,

4.2.2026

(प्रत्यय अमृत)

516
11/2/26